प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 29/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

कुन्दनमल मेघवाल पिता हीरालाल निवासीः खरसाण, वाया खेरोदा, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/04/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रस्तुत कर की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/29/24/385–86 दिनांक 19.03.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रा.प.स. 25/2024/248–50 दिनांक 21.03.2024 से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

पत्रावली पर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हो।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर